तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2638/2001/टोंक सरकार बनाम रामजीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

––

निर्णय
दिनांकः 02–12–19

यह रेफरेंस अतिरिक्त कलक्टर, टोंक ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार, आमेर ने अधीनस्थ न्यायालय में रेफरेंस प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 271,272,273 किता 3 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा ग्राम कायम नगर मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम भू प्रबंध खतौनी वर्ष 2011 से 2030 में अंकित थी, जिसे अप्रार्थीगणों ने विरासत के नामान्तरकरण द्वारा अपने खाते में अंकित करवा ली जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत मंदिर की भूमि अन्य व्यक्ति को स्थानांतरण किया जाना अवैधानिक है। उक्त प्रा0 पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2638/2001/टोंक सरकार बनाम रामजीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए राजकीय पैरोकार की बहस सुनकर अपने निर्णय द्वारा अनुशंषा के साथ ये रेफरेंस प्रा0 पत्र मण्डल को प्रेषित किया। मैंने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भू प्रबंध खतौनी संवत् 2011–30 के अनुसार खसरा नं0 271 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, ख0नं0 272 रकबा 19 बिस्वा, ख0नं0 272 रकबा 19 बिस्वा किता 3 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम कायम नगर उर्फ बासडी में माफी मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम खातेदारी थी, जिसे संवत् 2026 से 2029 की जमाबंदी में श्री बक्श पुत्र जमनालाल ने बिना किसी नामान्तरकरण के व बिना किसी आदेश के अपने खाते में अंकित करवा लिया तथा फोत होने पर नामान्तरकरण सं0 80 दिनांक 12–01–83 से गोपाल पुत्र जमनालातल के खाते में अंकित की गई व गोपाल पुत्र जमनालाल के फौत होने पर नामा0 सं0 148 द्वारा उसके वारिसान रामजीलाल, सीताराम, रमेश पुत्रान गोपाल तथा रूकमणी, गायत्री, रतनी पुत्री गोपाल तथा मु0 गुलाब बेवा गोपाल के नाम खातेदारी में अंकित की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2638/2001/टोंक सरकार बनाम रामजीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गई। माफी मंदिर की भूमि का हस्तातंरण अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हुआ है। मूर्ति/मंदिर शाश्वत नाबालिक है, जिसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं हो सकते यदि किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान हो गए हो तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है। उनका यह भी तर्क था कि अविधिक कार्यवाही के विरूद्ध मियाद बाधित नहीं है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावें। मैने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रश्नगत रेफरेंस में राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री ठाकुरजी की खातेदारी की भूमि है, जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अप्रार्थीगण के नाम अंकित किया गया है अर्थात अविधिक रूप से माफी मंदिर की भूमि को अप्रार्थीगण के नाम अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में अविधिक कार्यवाही के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। वर्तमान विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मूर्ति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एलआर/2638/2001/टोंक सरकार बनाम रामजीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंदिर को शाश्वत अवयस्क माना गया है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रतिबंध के कारण अवयस्क की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते। मंदिर की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त की तरह मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में इस भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के पक्ष में किए गए इन्द्राजात नियम विरूद्ध व अविधिक है, जिन्हें निरस्त किए जाने हेतु मियाद बाधित नहीं है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर वापस माफी मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली निर्णीत इन्द्राज की जाकर अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(शिखर अग्रवाल)** **सदस्य**	